FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

रामसीलाल बनाम अशोक

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी नं. 82 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 11-2-2020 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।	
11-2-20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 03-03-2020 को पेश हो।	
12.03.2020	दिनांक 03.03.2020 से इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण नं. 1, 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव अप्रार्थी न. 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत जाहिर किये जाने से प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण नं. 1, 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है व अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा अनापत्ति पेश की जा चुकी है।	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामजीलाल बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

[illegible] 2/18

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 0.95 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 08.02.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का खटकड के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.02.2017 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का खटकड द्वारा दिनांक 08.02.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 0.95 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा की जावें तथा मूल चालान की प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	रामजीलाल बनाम अशोक हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु.नं. 2/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पेश होने पर पटवारी हल्का खटकड़ द्वारा दिनांक 08.02.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.03.30 15:11:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: